

सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी मंत्रीगण, संसदीय सचिव एवं समाननीय सभी सदस्यगण। तृतीय विधानसभा का ग्यारहवाँ सत्र जो दिनांक 11 दिसम्बर, 2012 से 21 दिसम्बर, 2012 के मध्य आहुत था, का आज अन्तिम दिवस है। मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि यह सदन छत्तीसगढ़ के समग्र विकास हेतु अपने नैतिक दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए अत्यंत सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सम्पन्न हो रहा है।

परम्परा अनुसार इस सत्र के प्रथम दिवस श्री इन्द्र कुमार गुजराल भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, श्री विलासराव देशमुख केन्द्रीय मंत्री, श्री ताराचंद साहू लोक सभा एवं अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य, श्री गणेश शंकर बाजपेयी अविभाजित मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ विधान सभा के पूर्व सदस्य, डॉ. राकेश कुमार सिंह अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य, श्री चैतराम साहू अविभाजित मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य, श्री के.एस. सुदर्शन राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पूर्व सरसंघ चालक एवं श्री बाल केशव ठाकरे शिवसेना प्रमुख, के निधन पर सदन ने श्रद्धांजलि अर्पित कर उक्त दिवस की कार्यवाही स्थगित की गई।

यह सभा इस राज्य की सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था है और आप सब पक्ष एवं प्रतिपक्ष के सदस्यों ने समस्त लोक हित के विषयों पर सकारात्मक चर्चा करते हुए इस संस्था की गरिमा में अभिवृद्धि की है और जनप्रतिनिधि के नाते अपनी परिपक्वता का परिचय दिया है। इस हेतु मैं आप सबको बधाई देता हूँ।

इस 7 दिवसीय सत्र को मैं छत्तीसगढ़ के विकास की यात्रा के महत्वपूर्ण सत्रों में से एक मानता हूँ। क्योंकि इस सत्र ने छत्तीसगढ़ को खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012 अधिनियमित करते हुए देश में ऐसा प्रथम राज्य होने की पहचान स्थापित की है, जहाँ आम आदमी की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता भोजन को विधि के द्वारा उनका अधिकार होना और यह सरकार के दायित्वाधीन हो, सुनिश्चित किया है। सभा द्वारा खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2012 को विचार-विमर्श के पश्चात पारण करने के लिए मैं सदन के नेता एवं नेता प्रतिपक्ष को और आप सबको विशेष रूप से बधाई देता हूँ।

इस सत्र में पिछली कुछ अवधि से चर्चा के विषय रहे मल्टी ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के उपभोक्ताओं को नगद सब्सिडी जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर भी शासकीय संकल्प के रूप में आप सबने विस्तार से चर्चा की और केन्द्र शासन से जनहित में आवश्यक कदम उठाने हेतु अनुरोध किया। सभा में ज्वलंत विषयों पर ऐसी चर्चा से यह प्रतिपादित होता है कि आप सब केवल अपने प्रदेश के हित के चिंतक ही नहीं है अपितु राष्ट्रव्यापी विषयों पर भी न केवल चिंतन करते हैं एवं उसमें अपना योगदान भी देते हैं। मैं आप सबको इस हेतु बधाई देता हूँ।

संसदीय कार्यों के साथ-साथ इस सत्र में एक-दो अवसरों पर राजनीतिक कार्यों की छाया भी परिलक्षित हुई और मैं समझता हूँ यह स्वाभाविक भी है क्योंकि ठीक एक वर्ष के पश्चात् इस सभा का पुनर्गठन संभाव्य है। आप इस प्रदेश की दो करोड़ जनता के समक्ष अपने कार्यों का लेखा-जोखा लेकर जायेंगे किन्तु मैं आपको इस बात के लिये बधाई देता हूँ कि सम्पूर्ण सत्र में आपने अपने संसदीय कार्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी के साथ में किया।

लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में विधान मंडल प्रदेश की समस्या पर चर्चा के माध्यम से हल निकालने का एकमात्र स्थान होता है और मेरा यह भी मानना है कि संसदीय परम्पराओं एवं प्रक्रियाओं के पालन से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का विश्वास दृढ़ता से स्थापित हो सकता है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप अपने संसदीय दायित्वों की पूर्ति हेतु और अधिक सजग रहे ।

इस सत्र में यह भी उल्लेखनीय है कि आप माननीय सदस्यों ने प्रत्येक वह विषय जो छत्तीसगढ़ की सद्भावना, संकल्प, विकास से संबंध रखता है और जिस पर सदन में चर्चा आवश्यक रही हो उस प्रत्येक विषय को सदन में आपने रखा । सम-सामयिक अविलंबनीय लोक महत्व के विषयों को माननीय विपक्ष के सदस्यों द्वारा सदन में चर्चा हेतु रखा जाना ही उनके जागृत होने का प्रमाण है ।

इस सत्र के दौरान दिनांक 13/12/2012 को आप माननीय सदस्यों के राजनैतिक और संसदीय जीवन को और अधिक सफल और सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रजापिता ब्रम्हकुमारी शिवानी बहन एवं भ्राता सुरेश ओबेराय जी का प्रेरक व्याख्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया । मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप माननीय सदस्य उनके व्याख्यान से अवश्य रूप से लाभान्वित हुए होंगे । छत्तीसगढ़ विधान सभा में यह परंपरा रही है कि वह अपने माननीय सदस्यों के स्वास्थ्य एवं सुविधाओं के प्रति सदैव से गंभीर रही है इसी तारतम्य में दिनांक 12 एवं 13 दिसम्बर 2012 को दो दिवसीय नेत्र शिविर का आयोजन राज्य के प्रतिष्ठित नेत्र चिकित्सा संस्थान एम.जी.एम.रायपुर के द्वारा किया गया ।

इस सत्र में विभिन्न जनप्रतिनिधि संस्थाओं, शैक्षणिक संस्थाओं और विभिन्न संगठनों के लगभग 1222 लोगों ने सदन की कार्यवाही का प्रत्यक्ष अवलोकन किया । आप माननीय सदस्यों से मेरा आग्रह है कि अपने विधान सभा क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थाओं को विधानसभा परिभ्रमण में सहयोग करें जिससे कि प्रदेश के अधिकतम छात्र-छात्रायें राज्य की सर्वोत्तम प्रजातांत्रिक संस्था की कार्यप्रणाली और महत्व को सहजता से समझ सकें ।

अब मैं इस शीतकालीन सत्र में सदन के संपन्न कार्यों की संक्षिप्त जानकारी से आपको अवगत कराना चाहूंगा। इस सत्र के कुल 11 दिवसों में 7 बैठकें सम्पादित हुई जिसमें 26 घंटे 53 मिनट चर्चा हुई । इस सत्र में 847 प्रश्न प्राप्त हुये । इसमें ग्राह्य तारांकित प्रश्न 318 रहे । इनमें से 58 प्रश्नों पर चर्चा हुई । इस सत्र में मौखिक प्रश्नों का औसत 8 प्रश्न का रहा अर्थात् प्रश्न काल का माननीय सदस्यों ने आवश्यक लाभ उठाया । प्रश्नकाल में हमेशा की तरह आप माननीय सदस्यों ने पूरी संजीदगी से विषय विशेष से संदर्भित प्रश्नों को सदन में रखा और शासन ने उन प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी कोशिश की शासन में पारदर्शिता और शुचिता कायम रहे इस हेतु यह सदन सदैव से सजग रहा है । इस सत्र में नियम 139 के अंतर्गत चर्चा हेतु कुल 3 सूचनाएं प्राप्त हुई जिसमें से 1 सूचना ग्राह्य हुई । इस सत्र में 3 अशासकीय संकल्प प्राप्त हुए जिनमें से 1 अशासकीय संकल्प ग्राह्य हुआ । इस सत्र में 2 शासकीय संकल्प भी लिए गये जो स्वीकृत हुये ।

आप माननीय सदस्यों ने तर्क की तुला से प्रत्येक विषय को तोला और चर्चा को निष्कर्ष तक पहुंचाया। आपके इस कार्य से निश्चित ही प्रदेश की जनता के मध्य यह संदेश जाएगा कि उनके द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधि इस प्रदेश की सर्वोच्च पंचायत में जन-भावना, जनकल्याण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कृत-संकल्पित हैं। इस सत्र में कुल 161 स्थगन के प्रस्ताव की सूचनाएँ प्राप्त हुईं, जिनमें से एक ही विषय पर प्राप्त 39 स्थगन प्रस्ताव की सूचनाओं पर ग्राह्यता की सदन में चर्चा हुई। अग्राह्य स्थगन प्रस्तावों की संख्या 120 रही। इस सत्र में शून्यकाल की 68 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से 34 सूचनाएं ग्राह्य व 34 सूचनाएँ अग्राह्य रहीं।

तृतीय विधान सभा के इस एकादश सत्र में कुल 320 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें 57 सूचनाएं ग्राह्य व 248 सूचनाएं अग्राह्य रहीं। इस सत्र में कुल 06 विधेयक लाए गए और पारित हुए। इस सत्र में कुल 04 प्रतिवेदन पटल पर रखे गये। वहीं 13 याचिकाएं भी सदन पटल पर रखी गईं। विधान सभा की विभिन्न समितियों के 14 प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये। इसके साथ ही सदन के महत्वपूर्ण कार्य, वित्तीय कार्य, अनुपूरक मांगों के पुनर्स्थापन का महत्वपूर्ण कार्य भी निष्पादित हुआ।

उपरोक्त आंकड़ों से इस सत्र के संपादित कार्यों की पुष्टि होती है और इन सांख्यिकी आंकड़ों के आधार पर इस सत्र को एक सफल सत्र कहा जा सकता है। अर्थात् हाऊस का बिजनेस संतोषजनक रहा।

यह सत्र सभी मायनों में सफल रहा और इसकी सफलता का श्रेय सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री रविन्द्र चौबे जी, संसदीय कार्य मंत्री, सभी माननीय मंत्रीगण, संसदीय सचिव एवं सभी सदस्यों को जाता है। जिन्होंने संसदीय परंपराओं और प्रक्रियाओं के पालन का अद्वितीय उदाहरण अपने कार्यकरण से प्रस्तुत कर इस सत्र को निर्विघ्न सफल होने में अपना अधिकतम सहयोग दिया।

इस सत्र समापन के अवसर पर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता के विषय में विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि आपने अपनी कलम के माध्यम से अपनी सार्थकता को सिद्ध किया है। मैं पत्रकार दीर्घा के सभी पत्रकार बंधुओं को अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ कि आपने सत्रकाल में सदन से संबंधित समाचारों को अपेक्षित आवश्यक स्वरूप में आम जनता के मध्य रखा। इस सत्र समापन के अवसर पर सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय उपाध्यक्ष जी, सभापति तालिका के सम्माननीय सदस्य सहित आप सभी सदस्यों को आपके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ।

इस अवसर पर राज्य शासन के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्विघ्न सत्र संपन्न कराने में सहयोग देने के लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ कि आपने प्रदत्त दायित्वों का गंभीरता-पूर्वक परिपालन किया। सुरक्षा व्यवस्था में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों को बधाई देता हूँ कि आपने सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था को पूरे सत्रकाल में कायम रखा। इस सत्र के समापन अवसर पर मैं अपने विधान सभा सचिवालय के प्रमुख सचिव एवं समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी बधाई देता हूँ कि उनके समन्वित सहयोग से ही इस सत्र का सुचारू संचालन संभव हो सका।

परंपरा रही है कि सत्र समाप्ति के अवसर पर आगामी सत्र की संभावित तिथि सदन को सूचित की जाती है, तदनुसार आगामी बजट सत्र फरवरी के द्वितीय सप्ताह में आहूत होने की संभावना है।

इस अवसर पर मैं आने वाले नववर्ष की अनन्य शुभकामनाएं आपको एवं आपके माध्यम से प्रदेश वासियों को देता हूँ कि आने वाला वर्ष हम सभी के लिये मंगलकारी हो, साथ ही यह आवाहन करना चाहता हूँ कि आईए! छत्तीसगढ़ राज्य के विकास और समृद्धि के पावन अनुष्ठान में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर इस पावन मंदिर की प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने का संकल्प लें।

**जय हिन्द! जय भारत! जय छत्तीसगढ़!**